फर्द अहकाम

गोकुल बनाम शिवचरण।

...लय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

...द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 74/2021

...	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि...
	28/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब बैठक अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 09/5/24 को पेश हो।	
	09/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/24 को पेश हो।	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/7/24 को पेश हो।	
	25/07/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूल वादपत्र में प्रा. पत्र 06 R 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर पंचायत समिति बस्सी व तहसील बस्सी के स्थान पंचायत समिति तूंगा एवं तहसील तूंगा लिखा पढ़ा समझा जाने के आदेश दिये गये है अतः इस प्रार्थना पत्र में उक्तानुसार संशोधन समझा जावें। एवं अप्रार्थी नं. 11 लल्लू पुत्र बिरधा का प्रार्थना पत्र 0 22 R 3,9 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर इसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रार्थी नं. 11/1 लगायत 11/7 के रूप में बतौर प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाता है। अप्रार्थी नं. ① केविकेट मूलवाद में एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जा चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने एवं प्रा.पत्र बाबत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। प्रार्थी अधि. ने प्रा.पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने एवं प्रा.पत्र बाबत O39 R4 सी.पी.सी. एवं प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की उक्त तीनों प्रा.पत्रों पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रा.पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने पर दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि मुझे अप्रार्थी सं. 2 लगा. 6 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहिए एवं प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 लगा. 6 से कोई अनुतोष नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 लगा. 6 का नाम हजफ किये जाने के आदेश किये जाते हैं एवं वादपत्र के

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर कन्ना प्र०-जयपुर

गोकुल बनाम छिवचरण

मुकदमा संख्या /वर्ष : 24/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	उनवान मे अप्रार्थी से 2 लगा 6 के नाम के आगे दौराने दावा नाम इनके नाम के आगे किये जाने के आदेश शब्द अंकित किये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधि० द्वारा प्रा॰पत्र 039R4 सी॰पी॰सी एवं प्रा॰पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर दौराने बहस जाहिर तथ्यो पर मनन करने के उपरान्त न्यायाहित मे प्रा॰पत्र 039R4 सी॰पी॰सी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा न. 40 रकबा 4.8587 हैक्टर व खसरा न. 36 रकबा 0.0126 हैक्टर स्थित ग्राम सांवलियावाला तह: बस्सी के संबंध मे उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष ताफैसला वाद के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश लल्लू पुत्र किरबा के विरासत के नामांतकरण पर अप्रभावी रहेगा अर्थात	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		लल्लू पुत्र बिरधा के विरासत के नामान्तकरण पर छूट रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible signature]